

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001
(पंजीयन सं-633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,

* सुशील कुमार शर्मा

मो० 9470003023 / 9431479774

महासचिव,

* सुशील कुमार

मो० 9431091417

पत्रांक : 22



उपाध्यक्ष :-

संयुक्त सचिव :-

कोषाध्यक्ष :-

संयुक्त कोषाध्यक्ष :-

* सआदत हसन मिठू

* राजेन्द्र राम ९५३१०७३

* राजयनन्द वार्डियार

* अनिल कुमार

* चन्द्र शेरवर सिंह

* विनोद आनन्द

दिनांक 22-5-20

संघ भवन प्रतिवेदन

माननीय,

उपमुख्यमंत्री

बिहार सरकार

आज दिनांक 22.05.2016 को संघ भवन का उद्घाटन भवदीय के कर कमलों द्वारा होने पर हम संघ परिवार अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघ भवन के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार है :-

1. संघ भवन हेतु वर्ष - 1976 में 31 एकड़ जमीन 30 वर्ष के लीज पर सरकार के द्वारा संघ को दिया गया जिस पर पुराना भवन निर्मित कर संघ का कार्य किया जाता है। नये भवन का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा दिनांक - 15.08.2000 को किया गया था। कतिपय कारण से PRDA के आपत्ति के कारण दिनांक - 19.02.2002 से निर्माण कार्य रुक गया। दिनांक - 04.05.2011 को संघ द्वारा पटना नगर निगम से अनुरोध किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो अनुपालन करने का निदेश देते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए अन्यथा नापी कराकर यथोचित निदेश दी जाय ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ की जा सके। पटना नगर निगम द्वारा नापी के बाद भवन का कुछ हिस्सा छोड़ने का निदेश प्राप्त हुआ तदोपरांत उस भाग को छोड़ते हुए फिर से नक्शा दिनांक - 10.04.2012 को पारित कराया गया। इस शर्त के साथ की निर्माण कार्य से पूर्व लीज एकरारनामा कर ली जाय।

2. लीज नवीनकरण की अनुमति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक - 18.01.2008 को प्राप्त हुई तथा लीज नवीनकरण की सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद

४५८

नई लीज नीति निर्धारण के हवाला देकर लीज का नवीनकरण दिनांक - 02.12.2008 द्वारा स्थागित रखा गया। लीज नवीनकरण नीति, 2011 पारित होने के उपरांत लीज नवीनकरण हेतु जिला पदाधिकारी से दिनांक - 29.09.12 को अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी के आदेश होने पर दिनांक - 18.02.2013 को लीज नवीनकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई।

3. दिनांक - 19.05.2013 को नये भवन का निर्माण कार्य श्री दमोदर रावत, तत्कालीन मंत्री भवन के कर कमलों द्वारा प्रारंभ किया गया। नया भवन में इस प्रकार है : -

ग्राउण्ड फ्लोर 35'x39' Hall

10'x10'5" तीन रुम

10'x16'10" दो रुम

10'x16'10" एक रुम

वर्तमान में ग्राउण्ड फ्लोर हॉल एवं प्रथम तल का छः कमरा का निर्माण सम्पन्न हुआ है। द्वितीय तल का निर्माण कार्य बाकी है।

4. संघ भवन का निर्माण संघ के सदस्यों से प्राप्त सहयोग राशि से किया गया है। जिसमें संघ का कार्यालय कार्य, सदस्यों के परिवार का पारिवारिक समारोह किया जायेगा। इसमें खेलकूद, मनोरंजन हेतु क्लब, स्वारथ्य हेतु जिम की व्यवस्था की जायेगी।

5. यह एक संयोग एवं हर्ष की बात है कि भवदीय की माता श्रीमती राबड़ी देवी, तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक - 15.08.2000 का संघ भवन का शिलान्यास किया गया एवं भवदीय द्वारा आज दिनांक - 22.05.2016 को संघ भवन का उद्घाटन किया गया।

6. इस उपलक्ष्य पर संघ आपसे कोई मांग नहीं करना चाहता है लेकिन मात्र दो वास्तविकता भवदीय के संज्ञान में लाना चाहता है : -

(i) पहला :- प्रोन्नति में विलम्ब का स्थिति इस प्रकार है :-

2	1993	37	23 वर्ष
3	1995	38	21 वर्ष
4	1996	39	20 वर्ष

४३/२

2	1993	37	23 वर्ष
3	1995	38	21 वर्ष
4	1996	39	20 वर्ष
5	1997	40	19 वर्ष
6	1999	41	17 वर्ष
7	2000	42	16 वर्ष

24 वर्ष से 16 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के उपरांत भी एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है एवं कई सदस्य वगैर प्रोन्नति पाये मूल कोटि से ही सेवा निवृत हो चुके हैं, यह परिस्थिति संघ के लिए दुःखद है।

(ii) दुसरा :- संघ एवं सरकार के बीच दिनांक - 29.03.97 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्रीमती राबड़ी देवी के समक्ष यह समझौता हुआ था कि “जिला पदाधिकारी के पांच पदों को आई0ए0एस0 के अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से भरा जायेगा।” लेकिन उक्त समझौता का अनुपालन अब तक नहीं हो सका है। अन्य राज्यों यथा – असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम, राजस्थान, जम्मू एवं काश्मीर एवं उत्तर प्रदेश में वहाँ के राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों का पदस्थापन जिला पदाधिकारी के रूप में किया जाता है जिसकी प्रति संलग्न की जाती है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारियों के लिए पांच पद जिला पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन का प्रावधान कराने में संघ आपसे सहयोग की अपेक्षा करता है।

7. संघ भवदीय से अनुरोध करता है कि संघ के सभी पदस्थापित सदस्यों के लिए आवासन एवं वाहन की व्यवस्था सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

३५/७/०५/१६
(सुशील कुमार)

महासचिव